International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 7.924 Volume 11, Issue 03, March 2024
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

''वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति एवं निःशस्त्रीकरण : एक अध्ययन'

डॉ. संगीता मेश्राम

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र

शासकीय महाविद्यालय लालबर्रा

जिला–बालाघाट (म.प्र.)

भूमिका

भारत एक शांतिपिय एवं विष्वबंधुत्व की अवधारणा पर विष्वास रखने वाला राष्ट्र है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सम्प्रभु भारत के अपने राष्ट्रीय हितो के साथ–साथ आन्तरिक गुणवत्ता पूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति भी एक चुनौती रही है। ब्रिटिष प्रणाली के प्रभाव की वजह से भारतीय विदेष नीति पर उदार लोकतंत्र, शक्ति संतुलन, पष्चिमी षिक्षा एवं संस्कृति, सहयोग, एकीकरण का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा था किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपनी विदेष नीति का निर्धारण तत्कालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के अनुरूप स्वयं किया। असंलग्नता की नीति को प्राथमिकता दी गई। 4 दिसम्बर 1947 को संविधान सभा के सम्मुख पंडित जवाहरलाल नहेरू ने कहा था कि '' किसी देष की विदेष नीति की आधार शीला राष्ट्रीय हित की सुरक्षा हैं''। विष्व में भौगोलिक दृष्टि से सातवे एवं जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय स्थान प्राप्त भारत एक विकासशील राष्ट्र है। जो अपने गौवरषाली इतिहास के साथ–साथ वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आवष्यकताओं के अनुरूप ही अपने विदेष नीति एवं निःषस्त्रीकरण की नीति को निर्धारित करता है।

विदेश नीति का अर्थ

विदेष नीति अपने लक्ष्यों एवं हितो की पूर्ति के लिए किसी देष द्वारा बनाये गये या निर्धारित किये गये वे सिद्धांत है। जो अन्य देषो के साथ विभिन्न विषयों पर संबंधों में पालन की जाती है।

फेलिक ग्रॉस का मत है कि'' एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के साथ कोई संबंध न बनाये रखने का निर्णय भी विदेष नीति का एक भाग है''। किन्तु वर्तमान युग में यह संभव नही की कोई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय जगत से अछुता रहे। विदेष नीति का लक्ष्य अन्य राज्यों के व्यवहार में वांछित परिर्वतन करना है। यद्यपि यह अत्यधिक कठिनतम हो जाता है किन्तु राष्ट्रीय हितो की पूर्ति एवं अन्य राज्यों के व्यवहार को कोई भी देष नियमित करने के लिए विदेष नीति का निर्धारण करता है।

एण्डरसन एवं किस्टल के अनुसार ''विदेष नीति, नीति के सामान्य सिद्धॉतों का निर्धारण एवं कियान्वयन करती है जिसके द्वारा किसी राज्य के आचरण को प्रभावित करके अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा एवं पुष्टिकरण करता है''

निःशस्त्रीकरण का अर्थ

''**मार्गेन्थो** के अनुसार'' निःषस्त्रीकरण कुछ या समस्त शस्त्रों में कटौती या उनको समाप्त करना है जिससे शस्त्रीकरण की दौड़ का अन्त हो''।

निःषस्त्रीकरण का सामान्य अर्थ विषेष प्रकार के शस्त्रों को कम करने या समाप्त करने से है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय जगत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या निःषस्त्रीकरण की है। प्रथम विष्वयुद्ध के पश्चात से ही निःषस्त्रीकरण की दिषा में प्रयास हो रहे है। द्वितीय विष्व युद्ध के पश्चात समस्या कठिन हो गई क्योंकि पुराने पारम्परिक अस्त्र–षस्त्रों का स्थान नवीन तकनीकि के शस्त्रों एवं आणविक अस्त्रा ने ले लिया। अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए यह अधिक जोखिम का युग बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ, निःषस्त्रीकरण संधिया, सम्मेलन एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद राष्ट्रों में परमाणु अस्त्र बनाने की होड़ लगी है। महाषक्तियों की प्रतिस्पर्द्धा की वजह से भी निःषस्त्रीकरण एव हथियारों के अस्तित्व और उनसे उत्पन्न खतरों को कम करना है। हथियारों की सीमा निर्धारित करने एवं उन पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया को निःषस्त्रीकरण कहा जा सकता है।

निःशस्त्रीकरण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास

विष्व में निःषस्त्रीकरण एवं आणिवक तथा परमाणु हथियारों की रोकथाम के लिए कुछ प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये गये है। जैसे–आंषिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, परमाणु अप्रसार संधि 1968, समुद्र तल संधि 1971, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 1972, शांति पूर्ण परमाणु विस्फोट संधि 1976, साल्ट–2 संधि 1979, आई.एन.एफ. संधि 1987 तथा समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 19961, राष्ट्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात निःषस्त्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किये गये। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अनुच्छेद 11 के अनुसार महासभा अन्तर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से वांछित सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार कर सकती है जिसमें निःषस्त्रीकरण और शस्त्र नियमन करने वाले सिद्धांत भी सम्मिलित है। महासभा ऐसे सिद्धांतों के संबंध में सदस्यों या सुरक्षा परिषद या दोनों से सिफारिष भी कर सकतो हे। अनुच्छेद 26 में भी निःषस्त्रीकरण के संबंध में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार इस उद्देष्य के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करने और उसको बनाए रखने के कार्य को बढ़ावा मिले, परन्तु इसके लिए शस्त्रों के निर्माण पर मानव शक्ति का और आथिक साधनों का कम प्रयोग किया जाए। सुरक्षा परिषद का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह शस्त्रों को नियंत्रित करने की दृष्टि से एक तंत्र की स्थापना करने की योजनाओं की रूपरेखा संयुक्त राष्ट्रसंघ के सामने पेष करे। यह कार्य सुरक्षा परिषद अपने सैन्य स्टाफ समिति की सहायता से करेगी।

इसके साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भी निर्णयों द्वारा निःषस्त्रीकरण से संबंधित दो सहायक निकाय

1.नि्ःषस्त्रीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय समिति 2.. संयुक्त राष्ट्र निःषस्त्रीकरण आयोग है। महासभा के निःषस्त्रीकरण संबंधी विषयों को कार्यावान्ति करने के लिए सचिवालय द्वारा निःषस्त्रीकरण कार्य विभाग (डी.डी.ए) का गठन किया गया है।

वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 अगस्त को ''परमाणु परीक्षण विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस'' घोषित किया गया था वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 सितम्बर का ''अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस'' के रूप में घोषित किया गया था इस घोषणा का उद्देष्य परमाणु निःषस्त्रीकरण पर संहयोग और जनजागरूकता को बढ़ावा देना था।

शस्त्रों का प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय जगत के क्षेत्र में शस्त्रीकरण एवं परमाणविक शस्त्रीकरण के फलस्वरूप विष्व में राष्ट्रों के बीच पारस्परिक अविष्वास भी बढा है। भय के वातावरण का निर्माण हुआ है। शस्त्रीकरण की विनाषकारी प्रतियोगिता के फलस्वरूप आज संपूर्ण मानव जाति बारूद के ढेर पर बनी हुई है। प्रथम विष्वयुद्ध एवं द्वितीय विष्व युद्ध की विभिषिका विस्मृत नही की जा सकती है। अगस्त 1945 में जापान के दो शहरों हिरोषिमा एवं नागाषाकी पर अणु बम हमले में लगभग दो लाख लोग कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतर गये थे एवं वातावरण में कई वर्षो तक दुष्प्रभाव के फलस्वरूप लोगो को स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ा। यदि तीसरा विष्व युद्ध छिडा तो परमाणु आयुधो के प्रयोग के फलस्रूप यह सम्पूर्ण पर्यवरण एवं मानव जाति के लिए विनाषकारी होगा इनको नष्ट कर देगा। इन अस्त्रों ने संघर्ष के तत्वों को प्रोत्साहित किया है विष्व के अनेक राष्ट्र शस्त्रों एवं सामरिक आवष्यकताओं पर खर्च कर रहे है। जो उनकी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव डाल रही है जो खर्च नागरिकों के उन्नयन पर होना चाहिए वो खर्च सुरक्षा के उपायों एवं शस्त्रों पर किया जा रहा है। आणविक आकमण के भयवष अधिकांष राष्ट्र परमाणु अस्त्रों के निर्माण में लगे हुए है।

निःशस्त्रीकरण एवं भारतीय दृष्टिकोण

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ''स्वतंत्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र नीति का अवलम्बन करेगा और किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत संसार के किसी भी भाग में उपनिवेषवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध करेगा और विष्षान्ति के समर्थक देषों के साथ सहयोग करेगा'' स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत की विदेष नीति विष्षांति पर आधारित रही है। भारत स्वयं साम्राज्य वाद एवं उपनिवेषवाद से ग्रसित रहा है अतः पंचषील एवं असंलग्नता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रति आस्थावान रहा है। एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से भी भारत की विदेष नीति प्रभावित है कि ''पवित्र उद्देष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए''। भारत हमेषा इस बात के लिए प्रयास करता रहा है कि सत्य और अंहिसा के मार्ग पर चलें। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से किया जाए हिंसात्मक और अनैतिक तरीके से नहीं।

भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियॉ

सम्प्रभु राष्ट्र बनने के बाद से भी भारत को सामरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हैं। पाकिस्तान एवं भारत विभाजन के फलस्वरूप सीमाओं का निर्धारण, काष्मीर की समस्या, सिंधु नदी जल समस्या, शरणार्थियों की समस्या एवं बाद के वर्षो में सीमा पार आतंकवाद के साथ अल्पसंखयक और बाद के वर्षो में काषमिरी पंडितों की समस्या एवं पाकिस्तान के साथ अवांछित युद्धो के कारण तथा शक्तिषाली शत्रु देषों की पाकिस्तान के प्रति सहयोग भाव के कारण भारत को शस्त्र एवं सेना को सुसंगठित रखने के लिए तैयारियां करनी पड़ी। भारत की सीमा में चीन के द्वारा अतिकमण एवं तिब्बत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न मैत्री में गतिरोध एवं भारत पर चीन के आकमण एवं चीन के परमाणु कार्यकम ने भारतीय सामरिक आवष्यकताओं एवं संसाधनों को बढ़ावा देने का कार्य किया है। बांग्लादेष के साथ शरणार्थियों एवं अल्पसंख्यकों की समस्या, नदी जल विवाद नवमूर द्विप समस्या, दक्षिण में श्रीलंका की तमिल समस्या के कारण भारत मे उत्पन्न शरणार्थियों की समस्या, भूटान के साथ पर्यटको के लिए आन्तरिक रेखा परमीट व्यवस्था, चीन की भूटान में घूसपैठ, भूटान मे रह रहे तिब्बती शरणार्थियों एवं भेदभाव पूर्ण परमाणु अप्रसार संधि के पक्ष में भूटान के होने से उत्पन्न तनाव एवं अफगानिस्तान के रास्ते आतंकवादी गतिविधिया साथ ही कई बार महाषक्तियों के भेदभाव पूर्ण रवैये के कारण भारत भी मजबूर हो गया है कि सेना एवं अस्त्र–षस्त्र को सुसंगठित रखे।

निःशस्त्रीकरण पर भारतीय दृष्टिकोण एवं परमाणु नीति

भारत का परमाणु कार्यक्रम 1940 के दषक के उत्तरार्द्ध होमी ज. भाभा के मार्ग दर्षन में किया गया था। परमाणु उर्जा परिक्षणों के पश्चात भारत को अन्तर्राष्ट्रीय दबाव एवं आर्थिक प्रतिबंधों का भी सामना करना पडा। बढ़ती उर्जा मांगों ने परमाणु क्षेत्र मे भारत की सकियता को बढ़ाया है। भारत जिसने 50 वर्ष से भी पहले एषिया का पहला परमाणु उर्जा स्टेषन प्रारंभ किया था वह केवल 7000 मेगाा वाट की क्षमता पर है। आंशिक परमाणु संधि 1963 पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिये थे किन्तु 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था क्योंकि यह संधि उन राष्ट्रो के लिए परमाणु परिक्षण नही करने का प्रतिबंध लगाती थी जिन्हों अभी तक परमाणु अस्त्र नही बनाऐ थे किन्तु परमाणु अस्त्र जिनके पास पहले से थे उनके भण्डारन के विषय में इसमें कोई प्रावधान नही थे। यह संधि भेदभाव पूर्ण थी 24 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर भारत ने परमाणु विस्फोट कर प्रथम भूमिगत परिक्षण शांति पूर्ण कार्यो के लिए किया, परमाणु उर्जा के क्षेत्र मे ंभारत द्वारा किये गये प्रयोग से परमाणु हथियार राष्ट्रो का एकाधिकार समाप्त हो गया था। भारत ने उन्नीस सौ सत्तर एवं उन्नीस सौ नब्बे के दषक में सफल भूमिगत परमाणु परिक्षण किया इस परिक्षण से रेडियो–धर्मिता का प्रसारण नही हुआ था क्योंकि किसी वैज्ञानिक ने कोई भी दावा प्रस्तुत नही किया था। आणविक हथियारों को सीमित करने के लिए 1996 में ''व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि'' या सीटीबीटी को भी भारत ने अन्याय पूर्ण मानते हुए हस्ताक्षर नही किए। ये सभी परमाणु शस्त्र सम्पन्न देषों एवं परमाणु शस्त्र ंविहिन देषो के बीच भेद उत्पन्न करने वाली संधिया थी। पुनः 11 और 13 मइ 1988 को पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परिक्षण भारत द्वारा किये गये। इसके साथ ही भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति सम्पन्न देष बना जिसमें परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नही किये है विष्व समुदाय ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिये थे। इन परिक्षणो के बाद भारत ने परमाणु हथियारों के ''नो फर्स्ट यूज'' के सिद्धांत को अपनाया भारत 1 जनवरी से 14 फरवरी 2003 तक 66 सदस्यों वाले निःषस्त्रीकरण सम्मेलन का अध्यक्ष रहा है। भारत परमाणु शस्त्रों के निर्माणों के लिए कोई आवांछित कार्य नही कर रहा था किन्तु भारत की परिस्थितियॉ ऐसी भी नही थी कि वह परमाणु क्षेत्रों का परित्याग करें।

भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनायी जिसकी कुछ प्रमुख विषेषताए यह है कि भारत किसी भी देष पर तब तक परमाणु हमला नही करेगा जब तक कि कोई देष भारत पर हमला नही कर देता, शत्रु के मन में भय बनाने हेतु भारत अपनी परमाणु नीति को सषक्त रखेगा यदि देष पर शत्रु द्वारा परमाणु हमला किया गया तो उसका प्रतिषोध अपूर्णीय क्षति वाला होगा। परमाणु हमले कि कार्यवाही करने का अधिकार जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों राजनीतिक नेतृत्व को होगा साथ ही परमाणु कमांड अथॉरिटी का भी सहयोग आवष्यक होगा इस अथॉरिटी क अन्तर्गत एक रातनीतिक परिषद होती है। राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है। जबकि कार्यकारी परिषद के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते है। जो निर्णय लेने के लिए जरूरी सुचनाएं उपलब्ध कराते है तथा राजनीतिक परिषद द्वारा दिऐ गए निर्देषों का कियान्वयन करते है, प्रधानमंत्री के पास स्मार्ट कोर्ड होता है जिसके बिना परमाणु अस्त्र नही दागा जा सकता। जो राष्ट्र परमाणु सम्पन्न नही है ंउनके खिलाफ परमाणु हथियार प्रयोग नही किये जायेगें। यदि भारतीय सैनिक बलों पर कोई रसायनिक या जैविक हमला होता है। तो भारत इसके जवाब मे परमाणु हमले करने का विकल्प खुला रखेगें। परमाणु एवं सम्बंधित सामाग्री तथा निर्यात पर नियंत्रण जारी रहेगा, परमाणु परिक्षण पर रोक जारी रहेगीं, भारत परमाणु मुक्त विषय बनाने कि पहल का समर्थन एवं भेदभाव मुक्त परमाणु निःषस्त्रीकरण के अपने सिद्धांत को आग बढ़ायेगा। वष। 2005 में ऐतिहासिक भारत– अमेरिका असैन्य परमाणु पहल ने एक ऐसी संरचना दी जिसने एन.पी.टी. प्रणाली के साथ भारत के विस्तारित संघर्ष को खतम कर दिया भारत के असैन्य और सैन्य परमाणु कार्यक्रम पृथक–पृथक हो गये इस समझौते के कुछ वर्षो बाद भारत को फिर से असैन्य परमाणु सहयोग एवं परमाणु शस्त्रागार को विकसित करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी। 2018 में भारत में अपना परमाणु त्रयी या न्यूक्लियर ट्रीयइड पूरा कर लिया यह एक तीन तरफा सैन्य बल संरचना है जिसमें भूमि–प्रक्षेपित परमाणु मिसाइल, परमाणु–मिसाइल–सज्जित पनडुब्बियॉ एवं मिसाइलों से सज्जित सामरिक विमान

शामिल है। भारत अपनी विदेष नीति में नैतिक प्रतिमानों के साथ वर्तमान समसामयिक परमाणु एवं सामरिक आवष्यकताओं पर भी ध्यान केन्द्रित किये हुए है।

निष्कर्ष

भारत के राष्ट्रीय हितो को देखते हुए निःषस्त्रीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण एवं तर्क स्पष्ट है कि भारत विष्वषांति का पक्षधर है किन्तु भेदभाव पूर्ण निःषस्त्रीकरण के उन संधियों के पक्ष में बिल्कुल भी नही है जो महाशक्तियों आणविक आयुधो से युक्त देषों एवं परमाणु शस्त्र विहिन देषों के बीच में अन्तर करत है। भारतीय सीमाओं एवं क्षेत्रों पर घूसपैठ आक्रमण या इनको बढ़ावा देने की कोषिष करने वाले राष्ट्रो से निपटने के लिए भारत शस्त्र विहिन तो नहीं रह सकता। परमाणु निःषस्त्रीकरण के लिए भारत का निरन्तर समर्थन रहा है। भारत की विदेष नीति का एक लक्ष्य निःषस्त्रीकरण का भी है। भारत की आदर्षवादिता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में अनिष्चितता के दबाव की वजह से भारत एक सुव्यवस्थित निःषस्त्रीकरण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, योजना के लिए प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। आज शक्तिषाली एवं कम शक्तिषाली राष्ट्रों के मध्य भेदभाव न हो ऐसे निःषस्त्रीकरण प्रावधानों की आवष्यकता है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. खत्री हरीष कुमार, ''अन्तर्राष्ट्रीय कानून'', (2019), कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल ।

1. मोदी एम.पी., खत्री हरीष कुमांर, ''अन्तर्राष्ट्रीय संगठन'', (2019), कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल ।
2. भारद्वाज डॉ. रामदेव, ''भारत एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध'', (1998), मध्यप्रदेष हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
3. खत्री हरीष कुंमार, ''भारत की विदेष नीति'', (2018), कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल ।
4. शर्मा डॉ. प्रभुदत्त, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति (सिद्धान्त एवं व्यवहार)'', (2006), कॉलेज बुक डिपो जयपुर ।
5. खत्री हरीष कुमार, ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे'', (2018), कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल ।
6. आशीर्वादम् एडी, मिश्र कृष्णकान्त ''राजनीति विज्ञान' (1953), एस चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली ।
7. फड़िया, डॉ. बी. एल. ''अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धान्त एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे'', (2004), साहित्य भवन पब्लिकेषन्स आगरा।
8. खत्री हरीष कुंमार, ''मानवाधिकार'', (2018), कैलाष पुस्तक सदन, भोपाल ।